न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0–– 143/2019
प्रविष्टि दिनांक –– 12.12.2018

उनवान

सोहनलाल पुत्र घीस्या उर्फ घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक

– **वादी**

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
2. देशराज पुत्र घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
3. खुशीराम पुत्र रामदेवा जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. धन्नी बैवा घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
5. फारन्ती पुत्री घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
6. धन्नी बैवा घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
7. सिन्डीकैट बेंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक शाखा बमोर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री सीताराम विजय अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दावा उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक– 28/06/2019

वादपत्र का संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 884 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 941 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 995 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता–6, कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरचन्देडा, तहसील व जिला टोंक वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 6 की खातेदारी में अंकित भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोनीलाल लिखा हुआ है। वादी के पिता घीस्या को घासी भी कहते थे और वास्तविक नाम को पूर्व में आम बोलचाल में घीस्या कहने से राजस्व रिकॉर्ड में भी घीस्या ही दर्ज है, जबकि वास्तविक नाम घासी है और इसी कारण वादी की माता का नाम उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से के लिए धन्नी बेवा घासी का इन्द्राज हो रखा है, जिससे स्पष्ट है कि घासी को घीस्या भी कहते थे। इस प्रकार घीस्या व घासी एक ही व्यक्ति के नाम है, जो वादी के पिता का नाम है। प्रतिवादीगण संख्या–1, 2, 4, 5, वादी के भाई–बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 6, वादी की माता है, जो एक ही महिला है। वादी के पिता के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या–352 दिनांक 07.08.1997 द्वारा ग्राम पंचायत हरचन्देडा में वादी के पिता के वारिसान के नाम दाखिल खारिज स्वीकार किया था और इसमें वादी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोनीलाल कर दिया गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहनलाल है तथा परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र व आधार कार्ड में भी वादी कानाम सोहनलाल पुत्र घासी है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण में वादी का नाम सोनीलाल वादी की बिना इल्म के दर्ज किया गया था और यही नाम राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नामान्तरकरण के आधार पर चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम सोनीलाल पुत्र घीस्या के स्थान पर सोहनलाल पुत्र घासी उर्फ घीस्या किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज डीक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 884 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा

कारी

Scanned by CamScanner

नम्बर 941 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 995 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता–6 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरचन्देडा, तहसील व जिला टोंक में वादी का नाम सोनीलाल पुत्र घीस्या को संशोधन कर सोहनलाल पुत्र घासी किया जावे व इसी अनुसार वादी को उक्त भूमि का खातेदार, काश्तकार सोनलाल पुत्र घीस्या के स्थान पर घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 व 2055–58 ग्राम हरचन्देडा, नामांतकरण संख्या–352, फोटो कापी आधारकार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड एंव मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि पेश किये गये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 884 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 941 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 995 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता–6 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरचन्देडा, तहसील व जिला टोंक में वादी का नाम सोनीलाल पुत्र घीस्या को संशोधन कर सोहनलाल पुत्र घासी किया जावे व इसी अनुसार वादी को उक्त भूमि का खातेदार, काश्तकार सोनलाल पुत्र घीस्या के स्थान पर घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 6 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया जाकर दावे को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार टोंक द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार जवाब दावा पेश किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि से वादी का एंव उसके पिता का नाम सोहनलाल पुत्र घासी के स्थान पर सोनीलाल पुत्र घीस्या अंकित हो गया है जो दुरूस्ति योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 884 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 941 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 995 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता–6 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरचन्देडा, तहसील व जिला टोंक में वादी का नाम सोनीलाल पुत्र घीस्या को संशोधन कर उसके स्थान पर सोहनलाल पुत्र घासी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तदनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्ति कर पालना से अवगत करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुकाम टोंक व अलजाम श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

सोहनलाल पुत्र घीस्या उर्फ घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
2. देशराज पुत्र घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
3. खुशीराम पुत्र रामदेवा जाति बैरवा निवासीयान ग्राम हयातपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. धन्नी बैवा घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
5. फारन्ती पुत्री घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
6. धन्नी बैवा घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम हरचन्देडा,तहसील व जिला टोंक
7. सिन्डीकैट बेंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक शाखा बमोर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री सीताराम विजय अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र बाबत– उद्घोषणा, दुरूस्ति इन्द्राज

दावा नं0 143 / 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 884 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 941 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 995 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता–6 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरचन्देडा, तहसील व जिला टोंक में वादी का नाम सोनीलाल पुत्र घीस्या को संशोधन कर उसके स्थान पर सोहनलाल पुत्र घासी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तद्नुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्ति कर पालना से अवगत करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28/01/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मिजान		
मीशान					

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner